

129/16-17
अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या-

129/16-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0न0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -

मौजा-खैरपुरा थाना-344 खाता संख्या-52 प्लॉट संख्या-112 रकबा-1.35 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या-44/2 के पृष्ठ संख्या-44/2 पर जमाबंदी रयत प्रदीप मल के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगात निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-16/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

1176
अंचल अधिकारी

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जांच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- प्रदीप मल्ल
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>रहमा</u>	<u>346</u>	<u>53</u>	<u>117</u>	<u>1.85 ए०</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 66 पृष्ठ सं० 2 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 2002-03
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि का खालेदार का नाम :-
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- S D O (खालेदार)
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्वाचित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूदोवस्ती - 11/2/2002-03)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दायित्व रिटर्न / येन्तोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>7</u>	<u>4965 368</u>	<u>14/4/11</u>	

(Signature)

क्र. सं. ता. ग. म.	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर क्र. ग. कागजात के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	अभिलेख स्वस्थानि क्रियाया / प्रतिवादी-पथ- अनुपस्थित / अतः पुनः द्वितीय नोटीस निर्गमन के लिए की गयी कर रहे / अ. न. म. /	3

आदेश कागजात संख्या 3
देश की संसद एवं तिथि

देश की संसद एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-53, प्लॉट सं०- 117 /D कुल रकबा 1.85 ए० पर प्रदीप महतो पिता देवकी महतो के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा० सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं० 112/2002-03 के अन्तर्गत को मौजा-नौडीहा थाना नं०-345 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-53, प्लॉट सं०- 117 /D, रकबा 1.85 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत प्रदीप महतो पिता देवकी महतो के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं० 66 /II पर दर्ज होकर वर्ष 2011-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई.....<u>(नमा)</u>.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में

अपल अधिकारी

मनार, पलाशू /

विषय : - अवैध / खोहास्पद - अमावंड़ी डेरा नं 129/
2016-17 का जॉन प्रतिवेदन।

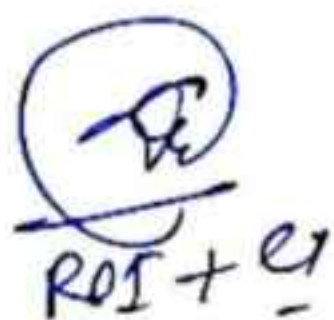
महाराज,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया ध्यान दें -

मौजा रतेगा - में आरु राजरम बागजान एवं नवगा
मिलान उरने अपल अमीन के शान स्वलीप-जॉन
मिला। जॉन में पाला कि गे व्हारु खाग श्री 53
प्लॉट सं. 117/D कुल रुका 1.85 एर पर प्रतीप मरगा
पिता डेनरी मरगा के शान ओर कोरु मिला जा
रहा है। उनके शान जॉन के शान कोपस्ती पन्ना
एवं निजीत खोहास्पद मिला गया है, जिससे पता
चला है कि आरु पडाव के कोरु वारु श्री 112/02-03
के अनर्गत दिनांक 25/10/2002 को मौजा रतेगा
धाना नं 345 के अनर्गत उक्त खाग श्री 53 प्लॉट
सं. 117/D रुका 1.85 एर की कोपस्ती उक्त रतेगा
प्रतीप मरगा पिता डेनरी मरगा के नाम से हुआ है,
जिसका अमावंड़ी मौजा रतेगा के मांग पंजी II के
पेज नं 66/II पर दर्ज होडा 2011-12 तक खोहास्पद
निजीत हो रहा है। इस प्रकार उक्त अमावंड़ी खोहास्पद
प्रतीप नहीं होना है।

अतः उक्त अमावंड़ी को खोहास्पद -

अमावंड़ी के मुक्त मिला - जा खबर है।


RSI + 1

विश्वनाथभाजन

वकीलदारी

२००३० दिना

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीपुर जिला - पलामू

गैर मजरुआ आम/मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि/आवास के लिये

बन्दोबस्ती केश संख्या- 112/02-03

परवाना संख्या- 8

बन्दोबस्तधारी का नाम पद्म महतो

पिता का नाम देवडी महतो

ग्राम रहमा

थाना मतातु

जिला पलामू

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम	खाता न०	खेसरा न०	रकबा	चौहदी	लगान
<u>रहमा</u>	<u>53</u>	<u>117</u>	<u>1.85</u> 30	<u>कालाउलमहा</u>	16 प्रतिवर्ष
<u>345</u>		<u>D</u>	<u>रक ए० पञ्चमीसी</u>	<u>नदी</u>	अलावे सेस
			<u>पू०</u>	<u>ज० म० मालि</u>	वगैरह
			<u>प०</u>	<u>ज० म० मालि</u>	

बन्दोबस्ती की शर्तें

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्तों के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

1. बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि का दखल कब्जा नापी कराकर अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
2. बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस वगैरह नियमित रूप से प्रतिवर्ष अदाय करेंगे/लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
3. बन्दोबस्त की गई जमीन विरासत के योग्य होगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तानान्तरण वैध नहीं होगा।

बन्दोबस्त भूमि की सांस्थिक वित्त अनुसूचित बैंक के पास केवल बन्धक रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी

अनुमंडल पदाधिकारी

24-9-2002

V-F.No.180V

माली का नाम पुल्लु

अनुमण्डल का नाम श्री देवी नगर

अंचल का नाम अनाम

नाम सर्कल। नाम मौजा मय रन्देशी

धाना वो धाना नम्बर धाना - अनाम

V

रसीद मालगुजारी

फरद मालकी/फरद रैयती

नाम रैयत मय वल्लियत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर। JB 4965368
41

PN- 66
II

खाता संख्या	खेसरा संख्या
53 <u>पुल्लु</u>	<u>117/5</u> <u>रन्देशी</u> <u>01.85</u> <u>रं</u>

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली

<u>श्री देवी नगर</u>	<u>8/0</u>	<u>देवी नगर</u>
----------------------	------------	-----------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया				हाल 2011-12
		तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल } (नकदी)	16.00				16.00	16.00
गुजारी } (भावली)	4.00				4.00	4.00
सेस	8.00				8.00	8.00
*सूद	3.00				3.00	3.00
मुतफरकात	4.00				4.00	4.00
मीजान	40.00				40.00	40.00

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	2011-12	
					मौतालबा हाल	फाजिल
माल } (नकदी)				16.00	16.00	Total 440.00
गुजारी } (भावली)				4.00	4.00	
सेस				8.00	8.00	
*सूद				3.00	3.00	
मुतफरकात				4.00	4.00	
मीजान अदायकारी				40.00	40.00	

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) चार सौ चालीह रूपये मात्र

(2) नाम देहिन्दा रन्देशी

(3) कुल बकाया-

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्द 11/01/11

*खाम महाल का बकाया मालगुजारी पर (मिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि मॉर्टिफिकेट जारी हो) मय प्रती निम्न-...

अंजल अहिकारी
अचल अहिकारी
ममल पलामु

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या129...../2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम प्रदीप महो 510 देव की गहरी

5110 रैहवा

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा रैहवा, थाना नं०.....
खाता नं०.....53, खेसरा नं०.....112, रकबा.....1.85/10 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०.....
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं त
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी ।

इसे सख्त ताकिद जाने ।

तिथि :

मुहर

स्थान :

2
11/07/24
अंचल अधिकारी
मनातू पलामू